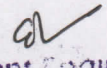


लागत लाभ विश्लेषण का प्रमाण पत्र

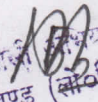
परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में पी०एम०जी०एस०वाई के अन्तर्गत धौन से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.550 कि०मी०

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त योजना के निर्माण में चयनित वनभूमि 4.970 हे० प्रभावित हो रही है जो 5 हेक्टेयर से कम है। अतः लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र वांछनीय नहीं है।


Assistant Engineer
Irrigation Division P W D
P.I.U.P.M.G.S.Y. Champawat

ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी


आधिकारी (सिंचाई वि०)
सिंचाई खण्ड (सि०वि०)
चम्पावत

क्षतिपूर्ति हेतु खतौनी की नकल

**परियोजना का नाम:— जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत
घौन से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण।**

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में आरक्षित वन भूमि शून्य है। सिविल वन भूमि 1.750 हे० वन पंचायत भूमि 1.610 हे० कुल प्रभावित वन भूमि 3.360 हे० का ग्राम्य विकास विभाग को कार्यदायी संस्था पी०एम०जी०एस०वाई० लो०नि०वि० चम्पावत को हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु चयनित सिविल भूमि का विवरण निम्नवत है।

क्र०स०	ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम	खेत न०	कुल रकबा	चयनित क्षेत्रफल
1	बडोली	उत्तराखण्ड सरकार सिविल भूमि	1582	0.89	0.89
			1793	0.89	0.89
			1810	1.125	1.125
			3498 म०	1.250	0.455
	कुल योग			4.155 म०	3.360


जिलाधिकारी
चम्पावत
 जिला चम्पावत

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत धौन से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.550 कि0मी0
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	1:50000 का मानचित्र, डिजिटल व गूगल मैप संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु0 301.00 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	अन्य समरेखन से मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।
ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	क्षेत्र में अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियों को रोजगार मिलेगा एवं क्षेत्र में उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा, तथा क्षेत्र में यातायात का लाभ मिलेगा।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	1. वनपंचायत भूमि 1.610 हे0 2. सिविल/राज्य वनभूमि 1.750 हे0 कुल वन भूमि 3.360 हे0
3.परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं (शून्य)
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं (शून्य)
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अनुमति आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम संलग्न है। एवं पुनः वनीकरण की वचनवद्धता संलग्न है।
6.निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।	निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान लोहाघाट।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

मोहर

Assistant Engineer
Irrigation Division P W D
P.I.U.P.M.G.S.Y. Champawat

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (लोहाघाट)
चम्पावत

प्रारूप-3
भाग-2(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	जनपद चम्पावत में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत धौन से बडोली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 6.550 कि0मी0						
(प) राज्य/संघराज्यक्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य						
(पप) जिला	चम्पावत।						
(पपप) जिला वन प्रभाग	चम्पावत वनप्रभाग चम्पावत						
(पअ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	<table> <tr> <td>1. वनपंचायत भूमि</td><td>1.610 हे0</td></tr> <tr> <td>2. सिविल/राज्य वनभूमि</td><td>1.750 हे0</td></tr> <tr> <td>कुल वन भूमि</td><td>3.360 हे0</td></tr> </table>	1. वनपंचायत भूमि	1.610 हे0	2. सिविल/राज्य वनभूमि	1.750 हे0	कुल वन भूमि	3.360 हे0
1. वनपंचायत भूमि	1.610 हे0						
2. सिविल/राज्य वनभूमि	1.750 हे0						
कुल वन भूमि	3.360 हे0						
17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	वनपंचायत, सिविल/राज्य भूमि						
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:	चीड़,साल,साज,एवं अन्य सहचरी प्रजाति						
(प) वन का प्रकार	<table> <tr> <td>1. वनपंचायत भूमि</td><td>1.610 हे0</td></tr> <tr> <td>2. सिविल/राज्य वनभूमि</td><td>1.750 हे0</td></tr> <tr> <td>कुल वन भूमि</td><td>3.360 हे0</td></tr> </table>	1. वनपंचायत भूमि	1.610 हे0	2. सिविल/राज्य वनभूमि	1.750 हे0	कुल वन भूमि	3.360 हे0
1. वनपंचायत भूमि	1.610 हे0						
2. सिविल/राज्य वनभूमि	1.750 हे0						
कुल वन भूमि	3.360 हे0						
(पप) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	0.20						
(पपप) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	मोटर मार्ग के निर्माण में चीड़—Pinus roxburghii,साल Shorea robusta, साज Shorea robusta, साधन Ougeinia Ougeinensis,टुन toonaciliat,जामुन Syzygium Cumini						
(पअ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	मोटर मार्ग का समरेखन जहाँ नाप भूमि से असंभव हो, वहीं वनभूमि में किया गया है।						
19. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक के अनुसार भू गर्भीय स्थिति फरमेसन की चट्टाने सिरिसाइट सिस्ट फारनग्रेन्ड फलेगी क्वार्ट्जाइट के साथ इण्टरवेडेड है।एवं रामगढ़ फारमेशन की थिन बेडेड क्वार्ट्जाइट की चट्टाने विद्यमान है। भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।						
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वनभूमि एवं वनपंचायत/राज्य भूमि में ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिससे यह वनभूमि के अन्तर्गत ही है।						
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता							

(i) पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	प्रस्तावित स्थल पर विशेष वन्य जीव प्रजाति नहीं पाई जाती है।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेपण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं (प्रमाण पत्र संलग्न है।)
23. पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अन्य विकल्प भूमि न होने के कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा दर्शित भूमि न्यूनतम व अपरिहार्य है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेपण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	जहाँ संभव है, वहाँ निजी भूमि का चयन कर उपयोग किया जा रहा है।
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	सिविल भूमि बडोली
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	सिविल अवनत वन खसरा नं०,
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	1:50000 का मानचित्र एवं डिजिटल मैप संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	हाँ संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रु० 960960.00
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रमाण पत्र संलग्न है।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

प्रभागीय वनाधिकारी
शासकीय मुद्रा
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत

प्रारूप-7
SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer IRRIGATION DVI P.W.D,P.M.G.S.Y t Champawat for diversion under FCA-1980) of 3.360 ha. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of Dhoun To Badoli Motor Road. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.....

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 3.360 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :-

5.5 Counstruction of Dhoun To Badoli M/R Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- NIL

- a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

(नोट:- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

Place:-.....

Date.....

(Signature)

Name (A.K. Gupta)
Designation - D.F.O. Champawat
Office Seal

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
 xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is
 not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

अनुक्र 46

प्रस्तावित हस्तान्तरित मार्गों के पथ वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक विभागों से माँगी जाने वाली धनराशि का विस्तृत प्राक्कलन प्रति किमी० में 333 पौधारोपण

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	उ०/ग०	मात्रा	प्रस्तावित इकाई दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य तथा रोड साइड में चिन्हीकरण।		1.00	-	-	1.00 किमी०	150.00	150.00
2	स्थलों की सफाई		1.00	-	-	1.00 किमी०	700.00	700.00
3	रोड साइड में पत्थरों की 45 सेमी० चौड़ी कुलीवालिग में ट्री गार्ड निर्माण— आन्तरिक गर्भ 50सेमी० रेडियस तथा ऊँचाई 1.35 मी० (15सेमी० बुनियाद व 1.20 ऊपर सहित) प्रति किमी० में 150 ट्री गार्ड	150	22/7X0.95X0.95X1.35			574.38	-	-
	घटाया आन्तरिक भाग	150	22/7X0.50X0.50X1.35			159.11	-	-
	शेष चिनाई					415.27	206.00	85545.62
4	शेष 183 पौधों का रोड साइड में (गुप प्लान्टेशन) की सुरक्षा हेतु कुलीवालिग में फौन्सिंग	1	200.00	0.45	1.20	108.00 घनमी०	206.00	22248.00
5	रोपण हेतु गद्दे खुदान (0.45x0.45x0.45)	1	333	-	-	333 सं०	10.13	3373.29
6	गद्दे भरान		333	-	-	333 सं०	1.08	359.64
7	पौधों की कीमत		333	-	-	333 सं०	4.90	1631.70
8	पौधों की दुलान		333	-	-	333 सं०	4.17	1388.61
9	पौधारोपण तथा थावलाबन्दी मय दोबार निराई-गुड़ाई		333	-	-	333 सं०	2.27	755.91
10	पौधों हेतु जैविक खाद		-	-	-		L.S.	700.00
11	पौधों हेतु रासायनिक खाद/कीटनाशक		-	-	-	333 सं०	15.70%	52.28
12	देख-रेख कार्य 3 किमी० में एक श्रमिक (रोपण वर्ष में 8 माह) (30X125 प्रतिदिन)		-	-	-	8 माह	3750/3	10000.00
13	रोपण के उपरान्त 10 वर्ष का अनुरक्षण 12 माह प्रति वर्ष		12x3750x10/3	-	-		-	150000.00
14	यंत्र-संयंत्र इत्यादि		-	-	-		L.S.	500.00
							Total	277405.05
							OR	277405.00
							277405.00 per km. X 8.00km.	2219240.00

नोट : अधिक रोजगार बढ़ाने तथा सस्ता कार्य हेतु स्थानीय उपलब्ध पत्थर चिनाई कर ट्री गोर्ड निर्माण उचित है।

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत